न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी अमीलाल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 04 / 2025

डालसिंह पुत्र शिवदानसिंह जाति राजपूत आयु 60 वर्ष निवासी ग्राम वाढसर तहसील वीदासर जिला चूरू (राजस्थान)

.........वादी.........

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार बीदासर जिला–चूरू
2. श्री करणीसिंह पुत्र शिवदानसिंह जाति राजपूत निवासी वाढसर तहसील वीदासर, जिला–चूरू
3. श्रीमती कानी देवी पत्नी भैराराम जाति जाट निवासीनी वाढसर तहसील वीदासर, जिला–चूरू
4. श्रीमती गीती देवी पत्नी पुरखाराम जाति जाट निवासीनी वाढसर तहसील वीदासर, जिला–चूरू
5. श्री जगदीश पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी वाढसर तहसील वीदासर, चूरू
6. श्रीमती तुलछा पुत्री भैराराम जाति जाट निवासीनी वाढसर तहसील वीदासर, जिला–चूरू
7. श्री नेमाराम पुत्र भेराराम जाति जाट निवासी बाढसर तहसील वीदासर, जिला–चूरू
8. श्री नराणाराम पुत्र भेराराम जाति जाट निवासी बाढसर तहसील वीदासर, जिला–चूरू
9. श्री प्रहलादसिंह पुत्र शिवदानसिंह जाति राजपूत निवासी बाढसर तहसील वीदासर, जिला–चूरू
10. श्री मनिष पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी बाढसर तहसील बीदासर, जिला–चूरू
11. श्री राजुसिंह पुत्र शिवदानसिंह जाति राजपूत निवासी बाढसर तहसील बीदासर, जिला–चूरू
12. श्री रामचन्द्र पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी बाढसर तहसील बीदासर, चूरू
13. श्री रामूराम पुत्र भेराराम जाति जाट निवासी बाढसर तहसील बीदासर, चूरू
14. श्री लालसिंह पुत्र शिवदानसिंह जाति राजपूत निवासी बाढसर तहसील बीदासर, चूरू
15. श्रीमती विमला पुत्री अमरसिंह जाति राजपूत निवासी बाढसर तहसील बीदासर, चूरू
16. श्री सीताराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी बाढसर तहसील बीदासर, चूरू
17. श्रीमती हीरा पत्नी अमरसिंह जाति राजपूत निवासी बाढसर तहसील बीदासर, चूरू

...........प्रतिवादीगण...........

दावा घोषणात्मक

उपस्थितः– (1) विद्वान अधिवक्ता श्री गोवर्धनसिंह राठौड़, महावीरसिंह राठौड़ वादी की ओर से व
(2) विद्वान अधिवक्ता श्री अमरसिंह राठौड़, प्रतिवादी सं. 2, 9, 11 व 17 की ओर से
(3) प्रतिवादी सं. 3 ता 8, 10 व 12 ता 16 के विरूद्ध एक पक्षीय
(4) राजपैरोकार उपस्थित

दिनांक : 3/6/25

-: निर्णय :-

दावे के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है खेत खसरा संख्या 508 (पांच सौ आठ) भूमि तादादी 13.9742 (तेरह प्वॉईंट नो सात चार दो) हैक्टेयर वाके रोही वाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान मे वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 2 (दो) ता 17 (सत्रह) के नाम से राजस्व रिकॉर्ड मे संयुक्त खातेदारी एंव कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग मे चली आ रही है। जिसमे वादी का मुताबिक रिकॉर्ड 63 / 1105 हिस्सा भूमि है। वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में उपरोक्त खसरा जात की भूमि की खातेदारी वादी उम्मेदसिंह पुत्र शिवदानसिंह जाति राजपूत के नाम से

लगातार.........2 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते बीदासर जिला–चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

राजस्व रेकॉर्ड मे खातेदारी चली आ रही है जो अशुद्ध है वादी डालसिंह के पिता शिवदानसिंह का स्वर्गवास हुआ उस वक्त राजस्व कर्मचारियों ने भूलवश वादी का नाम उम्मेदसिंह पुत्र शिवदानसिंह दर्ज कर दिया जबकि वादी का शुद्ध नाम डालसिंह पुत्र शिवदानसिंह था। वादी के नाम से आधार कार्ड है उक्त आधार कार्ड मे वादी का नाम डालसिंह पुत्र शिवदानसिंह दर्ज है तथा वादी के पास अन्य सरकारी दस्तावेजात जन आधार कार्ड संख्या 5080578239, परिवार राशन कार्ड संख्या 00280, पेन कार्ड संख्या MSEPS3948H, निर्वाचन पहचान पत्र संख्या RJ/03/016/570401, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा लालगढ खाता संख्या 40580100019668 आदि दस्तावेजात मे वादी का नाम डालसिंह पुत्र शिवदानसिंह अंकित है, जो सही व शुद्ध नाम है। वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड मे वादी का नाम उम्मेदसिंह पुत्र शिवदानसिंह अशुद्ध होने के कारण वादी वर्तमान गलत राजस्व रेकॉर्ड को दुरूस्त करवाकर वादी अपना सही व शुद्ध नाम डालसिंह पुत्र शिवदान सिंह की घोषणा करवाने का अधिकारी है। वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड मे वादी का नाम उम्मेदसिंह पुत्र शिवदानसिंह अशुद्ध रहते हुये वादी सरकारी लाभ, ऋण, के.सी.सी. इत्यादि प्राप्त नही कर सकता है, इसलिये वादी के लिये आवश्यक हो गया है कि वो राजस्व रेकॉर्ड मे अपना नाम उम्मेदसिंह पुत्र शिवदानसिंह की जगह शुद्ध व सही नाम डालसिंह पुत्र शिवदानसिंह की घोषणा करावे अन्यथा गलत राजस्व रेकॉर्ड के रहते हुये वादी को अपूर्तिय क्षति होगी और वादी को सरकारी लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। वादी ने दिनांक 06.12.2024 (छः दिसम्बर सन् दो हजार चौबीस) को प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि आप वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड मे मेरा जो गलत व अशुद्ध उम्मेदसिंह पुत्र शिवदानसिंह नाम दर्ज है को सही व दुरूस्त कर सही नाम डालसिंह पुत्र शिवदानसिंह दर्ज कर देवें तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया। जिस पर वादी ने दावा पेश किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन पंजीकृत डाक से तलब किया गया प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 8, 10 व 12 ता 16 न्यायालय में उपस्थित नही होने पर न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 2, 9, 11 व 17 ने इकबाल जबाब दावा पेश किया। राजपैरोकार ने अपना जबाब राज्य हित निहित नहीं होना पेश (अंकित) किया।

लगातार........3 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

खेत खसरा नंबर 508 वाके रोही बाढ़सर की भूमि का विभाजन होकर मूल खसरा नंबर 508 के नये खसरा नंबर 1247/508 व 1248/508 कायम किये गये। खसरा नंबर 1247/508 में खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 8, 10, 12, 13 व 16 के नाम से राजस्व रेकॉर्ड में अलग से दर्ज की गयी इसी प्रकार खसरा नंबर 1248/508 में खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2, 9, 11, 14, 15 व 17 के नाम से राजस्व रेकॉर्ड में अलग से दर्ज की गयी। वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 8, 10, 12, 13 व 16 का नाम डिलिट करने बावत प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर उक्त प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 8, 10, 12, 13 व 16 के नाम डिलिट किये गये।

बहस अंतिम सुनी गयी वादी के अधिवक्ता ने दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादी का शुद्ध व सही नाम दस्तावेजात के आधार पर डालसिंह पुत्र शिवदानसिंह है जो उक्त दस्तावेजात से साबित है, वादी का दावा डिक्री किया जावे। हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक सुक्षमता से अवलोकन किया तो उक्त दस्तावेजात के अवलोकन से यह साबित है कि वादी का वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में उम्मेदसिंह पुत्र शिवदानसिंह अशुद्ध नाम है, वादी का शुद्ध व सही नाम डालसिंह पुत्र शिवदानसिंह है। वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड को दुरूस्त किया जाकर वादी का सही नाम डालसिंह पुत्र शिवदानसिंह नाम की घोषणा वादी राजस्व रेकॉड में करवाने का अधिकारी है। वादी का घोषणात्मक दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वादी का घोषणात्मक दावा अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है कि मूल खसरा नंबर 508 के नवीन खेत खसरा नंबर 1248/508 वाके रोही बाढ़सर के राजस्व रेकॉर्ड में वादी का उम्मेदसिंह पुत्र शिवदानसिंह अशुद्ध नाम है, जिसे दुरूस्त कर सही व शुद्ध नाम डालसिंह पुत्र शिवदानसिंह दर्ज किये जाने का प्रतिवादी संख्या 1 को आदेश दिया जाता है। मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 3/6/25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमीलाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी बीदासर
बीदासर